यथा **23.06.2026**

बीईएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

बीईएल के अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक वाणिज्यिक संगठन है। कंपनी के अधिकारियों की शक्तियाँ संगठन के सभी स्तरों में सुपरिभाषित है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर उनके कर्तव्य सौंपे जाते हैं।

नियम / आदेश जिनके द्वारा शक्तियाँ एवं कर्तव्य तय किए जाते हैं:

निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन -

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदान की गई शक्तियों के तहत, इन शक्तियों को कार्यशील निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, महाप्रबंधकों तथा अन्य कार्यपालकों को उप-प्रत्यायोजित किया गया है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकें।

इन शक्तियों को संगठन की ज़रूरतों पर निर्भर करते हुए और साथ ही, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किया जाता है। शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन वर्ष 2022 में संशोधित किया गया।

अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा अन्य लागू सांविधि, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करते हैं।

शक्तियों का प्रयोग - शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन में कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।

कार्य आवंटन-विभिन्न स्तरों पर कार्य आवंटन कार्यनीतिक व्यवसाय यूनिटों (एसबीयू) की आवश्यकता पर निर्भर करता है और समय-समय पर भिन्न-भिन्न हो सकता है, विभिन्न विषयों में कार्यपालकों और कर्मचारियों को निष्पादित किए जाने वाले व्यापक परिचालन कर्तव्यों में शामिल हैं -

1. **मानव संसाधन कर्तव्य**-सरकारी आरक्षण रोस्टरों और सार्वजनिक रोजगार दिशा-निर्देशों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए अभियंताओं और प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए भर्ती ड्राइव का प्रबंधन करना, कर्मचारी की नीतियों को लागू करना और अद्यतन करना, लाभों, चिकित्सा योजनाओं, पीआरपी का प्रबंधन करना, कर्मचारी संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, शिकायतों को संभालना, श्रम कानून और पीओएसएच अधिनियम जैसे संवैधानिक कानूनों का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें जनशक्ति योजना, पदोन्नति, प्रशिक्षण और विकास, स्थापना के मामले भी शामिल हैं।

2. **कानूनी कर्तव्य**-इनमें अनुपालन, सेवा और वाणिज्यिक मामलों जैसे समझौता ज्ञापन और करार आदि से संबंधित कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा और जांच करना, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी राय प्रदान करना, अदालतों में लंबित मामलों का प्रबंधन करना आदि शामिल हैं।
3. **चिकित्सा**-चिकित्सा कार्यों में अस्पताल प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आवधिक स्वास्थ्य जाँच आदि शामिल हैं।
4. **वित्त विभाग के कार्य**-इनमें बजटीय अनुमान, निधि प्रबंधन, खरीद निधि, प्राप्तियाँ और भुगतान, वित्तीय विवरण तैयार करना और विभिन्न लेखा परीक्षकों द्वारा इसका प्रमाणीकरण शामिल है।
5. **विपणन शुल्क**-इसमें उत्पाद पोर्टफोलियो, बाजार/उद्योग, विपणन आसूचना एवं योजना, कारोबारी माहौल एवं प्रतिस्पर्धी परिदृश्य विश्लेषण, ब्रांडिंग एवं विज्ञापन, ग्राहक एवं साझेदार की सहभागिता, विपणन प्रमुख प्रबंधन की जानकारी एवं प्रक्रिया शामिल है जिसमें लागत एवं मूल्य निर्धारण अवधारणाएं और विनियामक ढांचे की ठेकों की समझ शामिल हैं।
6. **लाइसेंसिंग**-ऐसे ठेकों, एमओयू और समझौतों का मसौदा तैयार करने और समीक्षा करने की क्षमता जो बीईएल के हितों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं, साझेदार-प्रस्तावित शर्तों का आकलन करते हैं और कानूनी, नीति और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए सभी बाहरी कार्यों में ठेके के पूर्वोदाहरणों को लागू करना, जोखिमों की पहचान करना और बीईएल की रणनीतिक, तकनीकी और वाणिज्यिक स्थिति की रक्षा करना आवश्यक है।
7. **सतर्कता**-प्रणालीगत जोखिमों और कमजोरियों की सक्रियता से पहचान करने की क्षमता, निवारक नियंत्रण (डीपीई, सीवीसी, डीओई और जीओआई की लागू नीतियों के अनुसार) तैयार करने और सिफारिश करने तथा जागरूकता और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से सुधार के कार्यान्वयन और संस्थानीकरण का समर्थन करने की क्षमता।
8. **अनुसंधान एवं विकास**-स्थापित उपकरणों, मानकों और पद्धतियों का उपयोग करते हुए और निष्पादन, विश्वसनीयता और विनिर्माणता के लिए डिजाइनों को अनुकूलित करते हुए सिस्टम आर्किटेक्चर और विस्तृत अभियांत्रिकी समाधानों को डिज़ाइन करने की क्षमता।
9. **उत्पादन**-सुगम कार्य प्रवाह और समय पर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन, खरीद, विनिर्माण, गुणवत्ता और परीक्षण कार्यों में समन्वय स्थापित करते हुए उत्पादन परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता।
10. **गुणवत्ता प्रबंधन**-समुचित उपकरणों (जैसे, लीन, सिक्स सिग्मा) का उपयोग करते हुए समग्र संगठन-व्यापी कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) प्रणाली की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और संचालन करने की क्षमता और सभी कार्यों में सुसंगत उत्पाद/सेवा की गुणवत्ता और मापने योग्य सुधार सुनिश्चित करने की स्थापित कार्यप्रणाली।

11. **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**-संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए खरीद संबंधी कार्यकलापों को निष्पादित करने की क्षमता, माल और सेवाओं का समय पर, लागत प्रभावी और संविदात्मक रूप से मजबूत अधिग्रहण सुनिश्चित करना।